परियोजना का नाम– जनपद बागे□वर में मा0 मुख्य मंत्री जी की घोशणा सं0 886 / 2017 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल मैदान का निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

## परियोजना का औचित्य (justification)

जनपद बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 886 / 2017 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल मैदान का निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसको पर्यावरण वन एंव जलवायु मंत्रालय भारत सरकार के फाइल सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 09 / 59 / 2019 / एफ0सी0 / 447 दि0 27.05.2019 के अनुसार non site specific गतिविधि के कारण (Reject) अमान्य कर दिया गया था, प्रस्ताव को पुनः ऑनलाइन अपलोड करने **का औचित्य मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार महोदय के दिनांक 19 फरवरी 2020 को जनपद बागेश्वर के भ्रमण** के दौरान उक्त के सम्बन्ध में स्थानीय समस्त जन प्रतिनिधिगण एंव समस्त खिलाड़ियों तथा खेल प्रेमी जनता द्वारा ज्ञापन दिया गया जिसमें मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जिला प्रशासन को मौखिक निर्देश दिये गये कि उक्त प्रस्ताव में पेड़ वाली भूमि को कम करते हुए पुनः प्रेषित करें।

जनपद के काफी संख्या में खिलाड़ी अन्तराष्ट्रीय एंव राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में विभिन्न खेलों में प्रतिभाग व पदक प्राप्त कर चुके है तथा राज्य स्तर पर भी काफी संख्या में खिलाड़ी पदक प्राप्त कर चुके है।

उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों मे खेल विभाग के अपने स्टेडियम, खेल मैदान है परन्तु बागेश्वर जनपद ही ऐसा है जिसमें स्टेडियम, खेल मैदान नहीं है जबकि बागेश्वर जनपद को बने 24 वर्ष पूर्ण हो गये है, वर्तमान समय में मात्र एक मैदान डिग्री कालेज में है जिसमें जनपद के सभी प्रकार के आयोजन इसी मैदान में होते है। वर्तमान समय में खेल विभाग द्वारा डिग्री कालेज प्राचार्या से अनुमति लेने के उपरान्त विभिन्न खेलों जैसे– हॉकी, फुटबाल, बॉलीबाल, कबड्डी, खो–खो, हैण्डबाल, क्रिकेट एंव ताईक्वाण्डो खेलों में जनपद के छोटे–छोटे बालक / बालिकाओं की खेल प्रशिक्षण एंव खेल प्रतियोगिताऐं इसी मैदान में आयोजित की जाती है।

उपरोक्त उपलब्धियों को देखते हुए जनपद के समस्त खिलाडियों, खेल प्रेमी जनता एंव जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यालय के समीप स्टेडियम की मॉग रखी गयी, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा राजस्व विभाग को स्टेडियम बनाने हेतु मुख्यालय के 10 कि0मी0 के दायरे में जमीन तलासने हेतु निर्देश दिये गये थे, काफी प्रयासों के बाद ग्राम खोली जो मुख्यालय से 03 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है मात्र वही पर खेल मैदान हेतु समतल व उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो पाई जिसमें खेल मैदान का निर्माण किया जाना सम्भव हो पायेगा।

यदि बागेश्वर में खेल विभाग का प्रदेश के अन्य जनपदों की भॉति अपना खेल मैदान बनता है तो पूर्व में स्वीकृत ताईक्वाण्डों खेल में बालिकाओं का आवासीय खेल छात्रावास भी संचालित हो जायेगा, जबकि प्रदेश के सभी 12 जनपदों में खेल विभाग का अपना स्टेडियम होने के कारण विभिन्न खेलों के आवासीय छात्रावास वर्तमान में चल रहे है।

खेल विभाग का बागेश्वर जनपद में अपना खेल मैदान एंव स्टेडियम बनने पर यहॉ के बालक / बालिकाऐं खिलाड़ी खेल जगत में अपने जनपद, प्रदेश व देश का नाम रोशन करेंगे।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में जनहित के दृष्टिगत प्रस्तावित स्टेडियम का निर्माण किया जाना अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

02/03/2021

| | | |
|---|---|---|
| जिला क्रीड़ा अधिकारी, बागेश्वर। | प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर | जिलाधिकारी, बागेश्वर। |